

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09-06-2021

आज दिनांक 09.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर

अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- दयाराम पुत्र राम अधारे निवासी नेतवापुर थाना धनघटा 2- वेदानंद पुत्र मोहित निवासी बड़गौ सरौना खास थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को प्रत्येक के कब्जे से क्रमशः 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 289 / 2021व मु0अ0सं0 290/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गई ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 39 अभियुक्त गिरफ्तार

.थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा विवाद विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 02662 से कालर ने किसी बात को लेकर विवाद मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रविंद्र यादव, म0आ0 मानवी सिंह, हो0चा0 सुनील अग्रहरि।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 105 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 105 वाहनो से 97000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।